



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) golmoefrolko@gmail.com

पत्र सं० ८बी/यू.पी./०६/१२/२०१८/एफ.सी./०५

दिनांक: ०५/१२/१८

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/22374/2017

विषय: Proposed Forest land Diversion of protected forest for strengthening and widening of NH 91 (Aligarh to Kanpur Section) from Chainage 186.00 km. to 229.00km. having extent 65.495 ha. with removal of 4940 trees and 858 plants 5,798 numbers- reg.

सन्दर्भ:- क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक- 27.03.2018 की कार्यवाही (REC Agenda item 26.6 -U.P.) (प्रति संलग्न)

महोदय,
उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयवस्तु प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

उक्त प्रकरण को दिनांक- 27.03.2018 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक (REC) दिनांक- 27.03.2018 की कार्यवाही की प्रति (REC Agenda item 26.6 -U.P.) संलग्न है।

अतः क्षेत्रीय सशक्त समिति के द्वारा दिए गये निर्देशानुसार अनुपालना राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित है। अतः अनुपालना शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,
(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा, उ० प्र०।
- 3- परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई, 47, ड्रिम सिटी कालोनी, बाल जीवन घुट्टी के पीछे, सरसोल, जी०टी०रोड, अलीगढ़, उ० प्र०।
- 4- वैयक्तिक सहायक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
- 5- आदेश पत्रावली।

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- २४२९ / एटा/ 22374 / 2017, दिनांक, लखनऊ, अप्रैल ०५, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में दिनांक 27.03.2018 को क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में की गई कार्यवाही की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि वांछित बिन्दुवार सूचनाएं एवं अभिलेख तीन प्रति में इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त सूचनाएं व अभिलेख उच्च स्तर को प्रेषित करते हुए आगामी क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में प्रकरण को विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया जा सके :-

- 1- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, एटा।
- 3- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 47-ड्रीम सिटी कालोनी, बाल जीवन घुट्टी के पीछे, सरसोल, जी०टी० रोड, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना व अभिलेख तत्काल सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

कार्यालय

वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ५१५/१०

पत्रांक ३३१५/१५ दिनांक

प्रतिलिपि सामाजिक निदेशक, लखनऊ प्रभाग
एटा का तत्काल अधिसूचना का आदेश देकर
वन संरक्षक

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।